

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक- 7-9-2016

संख्या-14/पद-206/16-सा0प्र0-.....12218./बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव स्तर के निम्नांकित पदाधिकारियों को वर्तमान पद से स्थानांतरित करते हुए स्तंभ -4 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन का पद एवं स्थान
1	2	3	4
1	श्री केदार नाथ, 305/11, उ0प्र0	संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा (अतिरिक्त प्रभार, उप निदेशक, पंचायती राज, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा)	आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा।
2	श्री उदय कृष्ण 402/11, भोजपुर	अपर समाहर्ता, सहरसा	अपर नगर आयुक्त, पटना
3	श्रीमती जगजीत कौर घई 430/11, नई दिल्ली	उप निदेशक, बाल संरक्षण इकाई, समाज कल्याण निदेशालय, पटना (अपर समाहर्ता स्तर का पद संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित)	संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार-अपर निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय)
4	श्री सुभाष चन्द्र झा 450/11, सुपौल	विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना (अपर समाहर्ता स्तर का पद संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित)	संयुक्त आयुक्त-सह- सचिव, क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर (अपर समाहर्ता का पद उत्क्रमित करते हुये)
5	श्री अजय कुमार ठाकुर, 461/11, खगड़िया।	अपर नगर आयुक्त, कटिहार नगर निगम (अपने वेतनमान में) अपर समाहर्ता का पद संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित)	नगर आयुक्त, कटिहार नगर निगम (अपने वेतनमान में)
6	श्री ईश्वर चन्द्र सिन्हा 462/11, पटना	संयुक्त सचिव-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना प्रमंडल, पटना	संयुक्त सचिव, अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग

7	श्री गोरखनाथ 466/11, लखीसराय	विशेष कार्य पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना (अपर समाहर्ता का पद संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित)	संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग
---	---------------------------------	--	----------------------------------

2. सभी स्थानांतरित पदाधिकारी पारगमण काल का उपभोग किये बिना अविलम्ब अधिसूचित पद पर योगदान करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(विजय मोहन नागपटनी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-14/पद-206/16 -सा0प्र0- 12.2.18 /पटना-15, दिनांक- 7.9./2016

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव, के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/ संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित कोषांगार पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 2, 8, एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।